

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2018/फाल्गुन 25, 1939	[ रा.रा.क्षे.दि. सं. 470
No. 63]	DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2018/ PHALGUNA 25, 1939	[N.C.T.D. No. 470

भाग—IV  
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय  
अधिसूचना

दिल्ली, 15 मार्च, 2018

सं. फा. 6(76)/एसबी/डीटीटीई/2015/आरआर/803.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं.फा. 24/78/68-डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत डिग्री स्तरीय महाविद्यालयों में भंडारी (स्टोर कीपर) के पद पर भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** .— (1) इन विनियमों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत डिग्री स्तरीय महाविद्यालयों में भंडारी (स्टोर कीपर) के पद हेतु (भर्ती एवं पदोन्नति) नियमावली, 2018 कहा जाये।  
(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** .— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर के साथ संबंध इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं** .— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** .— कोई भी व्यक्ति  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** .— जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव** .— इस विनियम में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

#### अनुसूची

1.	पदनाम	:	भंडारी (स्टोर कीपर )
2.	पदों की संख्या	:	03 (तीन) (2018)* (जी. बी. पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज, चौधरी ब्रह्म प्रकाश गवर्मेन्ट इंजीनियरिंग कॉलेज एवं अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कम्प्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्रत्येक में एक-एक पद) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित/अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर/वेतनमान	:	स्तर-5 (29200-92300/- रुपए) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	<b>18-27 वर्ष</b> नोट 1 : भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय। नोट 2 : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, न कि, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	<b>अनिवार्य :-</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, अथवा किसी सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में दो वर्ष के प्रासंगिक अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से किसी क्षेत्र में डिप्लोमा <b>वांछनीय:</b> खरीद/स्टोर कीपिंग/स्टॉक नियंत्रण में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा

8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	भात प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा टीप : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी जो कॉलम 7 के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखते हो।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय — अध्यक्ष 2. विभागाध्यक्ष, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय — सदस्य 3. विशेष/अपर निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय — सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
अश्वनी कुमार कंसल, उप-निदेशक (एसबी)

## DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

### NOTIFICATION

Delhi, the 15th March, 2018

**No. F. 6(76)/SB/DTTE/2015/RR/803.**—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification No. F24/78/68-DH (S) dated 24th September, 1968, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Store Keeper in Degree Level Colleges under the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Store Keeper in Degree Level Colleges under Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi (Recruitment and Promotion) Rules, 2018.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.** - The number of posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in Column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

3. **Method of Recruitment, Age limit and other qualification.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Column No. (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.** —No person
- (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;
- Shall be eligible for appointment to any of the said post.
- Provided that Department of Training and Technical Education may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.
5. **Power to relax.**—Whether the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reason to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.
6. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

1	Name of the Post	:	<b>Store Keeper</b>
2	Number of Post	:	<b>03 (Three) (2018)*</b> (one post each in G.B. Pant Engineering College, Ch. Brahm Prakash Government Engineering College and Ambedkar Institute of Advanced Communication Technologies & Research) *subject to variation dependent on workload.
3	Classification	:	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4	Level in the Pay Matrix /Pay Scale	:	Level-5 (Rs. 29200-92300) as per 7th CPC.
5	Whether Selection post or non-selection post	:	Not Applicable
6	Age limit for direct recruitment	:	<b>Between 18-27 Years.</b> <b>Note 1:</b> Relaxable for Government Servants as per instructions/ order issued by the Government of India from time to time. <b>Note 2 :</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti Distt. And Pangi Sub-Division of Chamba Distt. Of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshdweep)
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	:	<b>Essential:</b> Bachelor's Degree from a recognized University. OR Diploma in any field from a recognized Institute/ Board/University with 02 years relevant experience in a Government/Public Sector Undertaking/Autonomous Bodies.



			<b>Desirable:</b> Certificate/Diploma in purchasing / store keeping and stock control.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	:	Not Applicable
9	Period of probation, if any	:	02 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	:	100 % by Direct Recruitment <b>Note :</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by the appointing authority on deputation basis from officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department and possessing the educational and other qualification prescribed for direct recruit under Column No. 7.
11	In case of recruitment by promotion/deputation/Absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	:	Not Applicable
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	:	<b>Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):</b> 1. Principal Secretary/Secretary Directorate of Training and Technical Education—Chairman 2. Head of Department, Directorate of Training and Technical Education —Member 3. Special/Additional Director, Directorate of Training and Technical Education—Member
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	:	Not Applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor, of the National Capital Territory of Delhi.  
ASHWANI KUMAR KANSAL, Dy. Dir. (SB)

